राष्ट्रीय बांस मिशन के अन्तर्गत

गैर वन क्षेत्र/ निजी क्षेत्र में बांस रोपण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा में,

स्टेट मिशन डॉयरेक्टर

राष्ट्रीय बांस मिशन, उत्तराखण्ड

न्यू फॉरेस्ट कॉलोनी, इन्दिरा नगर, देहरादून।

विषयः गैर वन क्षेत्र/ निजी क्षेत्र में बांस रोपण हेतु राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के अन्तगर्तत सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव।

महोदय,

मैं/हम .....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... मेरी/हमारी भूमि जो गांव.....पो0.....तहसील..... जिला.....पिन कोड..... में अवस्थित है, हेतु राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के अन्तर्गत बांस रोपण हेतु सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हूँ/हैं। मेरी/हमारी स्वामित्व की भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

1. भूमि/खण्ड का पता.....
   गांव.....विकासखण्ड.....
   जिला.....राज्य.....पिन कोड.....
2. लाभार्थी का दूरभाष संख्या.....
3. लाभार्थी की जाति.....
4. आघार कार्ड न0.....पैन कार्ड न0.....
5. यदि बांस रोपण सरकारी, पंचायत, सामुदायिक भूमि पर किया जाना है तो उस प्रस्तावित क्षेत्र में सामान्य, अनुसूचित जाति वं अनुसूचित जनजाति का क्रमशः प्रतिशत.....
6. लाभार्थी के पास कुल उपलब्ध भूमि.....
   हैक्टेयर/बीघा/ नाली जमीन पर मालिकाना हक है का साक्ष्य (किसान पास बुक/ खाता खतौनी)
7. प्रस्तावित बांस रोपण करने का क्षेत्र है0/नाली/बीघा.....
8. भूमि का प्रकार.....सिंचित/असिंचित.....
9. भूमि/कृषि क्षेत्र पर पहुंच पाने से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी.....
   .....
10. जल स्त्रोतों की उपलब्धता का विवरण.....
    .....
11. लाभार्थी का बैंक का नाम.....शाखा.....
    खाता सं0.....IFSC.....

(बैंक पास बुक की साफ छाया प्रति या रद्द किये गये चैंक को संलग्न करना आवश्यक है)

प्रस्ताव हेतु अनुमानित लागत

अनुदान रू0.....

स्वयं का स्त्रोत.....

कुल धनराशि.....

लाभार्थी के हस्ताक्षर

नोटः– बांस रोपण हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देश–

1. पौधों की दूरी 5मी0X5मी0 रहेगी। यदि रोपण केवल खेतों की मेढ़ों अथवा खेत की सीमा पर किया जाता है तो कुल रोपित पौधों संख्या के आधार पर क्षेत्रफल की गणना की जाएगी व उसी के अनुसार सहायता की राशि आबंटित की जायेगी। इस प्रकार 1 है0 क्षेत्रफल में 400 पौधों (1 नाली में 8 पौधों) का रोपण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई लाभार्थी बगीचे घर, खेतों के खेतों के किनारे बांस रोपण करना चाहता है तो ऐसी दशा में प्रत्येक 400 बांस पौध रोपण को एक हेक्टेयर के बराबर माना जायेगा लेकिन पौधों की निर्धारित दूरी का पालन आवश्यक होगा या राष्ट्रीय बांस मिशन के तकनीकी संस्था के परामर्श से किया जायेगा।
2. भारत सरकार की दिशा–निर्देश के अनुसार निजी भूमि पर बांस रोपण करने हेतु रू. 1,20,000/– प्रति हेक्टेयर की धनराशि आंगणित की गई है, जिस पर वर्तमान में 50 प्रतिशत (रू0 60,000/– प्रति हेक्टेयर) अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा, जिसका भुगतान 2 किश्तों में की जायेगी। प्रथम किश्त प्रथम वर्ष में 60 प्रतिशत तथा द्वितीय किश्त 40 प्रतिशत द्वितीय वर्ष में किया जायेगा, जो सफलता प्रतिशत से लिंक होगा।
3. गैर वन क्षेत्रों (सरकारी, पंचायत तथा सामुदायिक भूमि) में होने वाले बांस रोपण पर अनुदान का राशि 100 प्रतिशत (रू0 1,20,000 लाख) प्रदान किया जायेगा। अनुदान राशि का 60 प्रतिशत प्रथम वर्ष तथा द्वितीय किश्त 40 प्रतिशत द्वितीय वर्ष में भुगतान की जायेगी। अनुदान राशि बांस रोपण के रखरखाव एवं जीवितता प्रतिशत से लिंक है जिसमें लाभार्थी द्वारा प्रतिस्थापन (Gap Filling) कर 1 साल के बाद 80 प्रतिशत तथा 2 साल के बाद 100 प्रतिशत होनी आवश्यक है। द्वितीय वर्ष का अनुदान केवल 50 प्रतिशत सफलता प्रतिशत से अधिक पर ही लागू होगी। बांस पौध उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् के परामर्श तथा तकनीकी सहयोग से उपलब्ध होगा। यदि पौध परिषद् द्वारा उपलब्ध कराया जाता है तो इस दशा में पौध का मूल्य लाभार्थी के अनुदान राशि से कटौती की जायेगी।
4. बांस की प्रजाति का चयन उत्तरखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् की तकनीकि सलाह पर राष्ट्रीय बांस मिशन की दिग्दर्शिका के अनुसार किया जाना आवश्यक होगा।
5. तकनीकि रूप से सुयोग्य प्रस्तावों पर ही विचार किया जायेगा, प्रस्ताव जमा करने का यह तात्पर्य यह नहीं है कि आपका आवेदन स्वीकृत हो चुका है।
6. केन्द्र तथा राज्य सरकार के अधिकारियों तथा उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति एवं संस्था द्वारा बांस रोपण का निरीक्षण किया जाता है तो इस दशा में लाभार्थी को सहयोग करना होगा।
7. निजी भूमि के प्रस्ताव को जिला स्तर से कृषि विभाग, तथा ग्राम पंचायत एवं वन पंचायत के प्रस्ताव को वन विभाग से अनुमोदित कर राज्य स्तरीय बैंबू डेवपलमेंट एजेंसी देहरादून को प्रेषित करना आवश्यक होगा।
8. आवेदन पत्र में दिये गये सभी बिन्दुओं पर स्पष्ट जानकारी देना आवश्यक है, अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. आवेदन पत्र के साथ खाता खतौनी की छाया प्रति लगाना आवश्यक है, यदि खाता खतौनी में एक से अधिक व्यक्तियों का नाम दर्ज हो तो इस दशा में आवेदन करने वाले व्यक्ति को सभी खाता धारकों से सहमति पत्र लेना आवश्यक है।
10. आवेदन के साथ बैंक पास बुक की साफ छाया प्रति या रद्द किये गये चैंक को संलग्न करना आवश्यक है, जिससे कि बैंक खाते में कोई त्रुटि न हो।
11. **आवेदक को संलग्नक–1 के अनुसार रू0 10 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र जमा करना आवश्यक होगा। किसी भी आवेदक को शपथ–पत्र की छूट नहीं दी जायेगी।**

आवेदक के हस्ताक्षर

पता.....

.....

(यदि मुहर हो तो लगायें)

दिनांकः

संलग्नक–1

बांस रोपण के संरक्षण एवं सम्बर्द्धन हेतु शपथ पत्र

समक्षः मुख्य कार्यकारी अधिकारी/स्टेट मिशन डॉयरेक्टर, उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् देहरादून।

1. यह कि मेरा नाम/हमारी ग्राम पंचायत/वन पंचायत.....ग्राम ..... पो0ओ0.....विकास खण्ड.....जनपद्.....है।

2. यह कि मेरे/हमारे द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन की कार्य योजना वर्ष .....के अन्तर्गत खसरा न0.....तोक.....ग्राम.....में कुल क्षेत्रफल..... हे0/रनिंग मीटर में बांस का ब्लॉक प्लांटेशन/सीमा रोपण हेतु आवेदन किया गया है।

3. यह कि राष्ट्रीय बांस मिशन की गाइडलाईन के अनुसार उक्त भूमि पर .....(प्रजाति का नाम) के कुल .....पौध रोपण उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् की परामर्श पर किया जायेगा।

4. यह कि मुझे/हमें ज्ञात है कि अनुदान राशि बांस रोपण के रखरखाव एवं जीवितता प्रतिशत से लिंक है, यदि प्रथम वर्ष में पौध की जिवितता प्रतिशत कम होती है तो इस दशा में मेरे/हमारे द्वारा प्रतिस्थापन (Gap Filling) कर 1 साल के बाद 80 प्रतिशत तथा 2 साल के बाद 100 प्रतिशत किया जायेगा, जिससे कि मैं/हम पूर्ण अनुदान राशि के लिए पात्र होऊंगा/होगे।

5. यह कि मुझे/हमें भली भांति ज्ञात है कि बांस रोपण की सफलता प्रतिशत द्वितीय वर्ष 50 प्रतिशत से कम पाई जाती है तो द्वितीय किश्त जारी नहीं होगी। शत–प्रतिशत अनुदान राशि हेतु 100 प्रतिशत प्रतिस्थापन (Gap Filling) करना आवश्यक होगा, ऐसा न करने पर प्रथम वर्ष की अनुदान राशि उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् को वापस करूगा।

शपथकर्ता

सत्यापन

इस शपथ पत्र की क्रम संख्या–1 से 5 तक मेरी/हमारी जानकारी में सत्य एवं सही है। उक्त बिन्दुओं का मेरे/हमारे द्वारा पूर्ण पालन किया जायेगा, यदि कभी भी ऐसा पाया गया कि मेरे/हमारे द्वारा उक्त बिन्दुओं का पालन नहीं किया गया है, तो इस दशा में उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् द्वारा जो भी फैसला दिया जायेगा, वह मुझे/हमें मान्य होगा, जिसके लिए मैं/हम पूर्ण जिम्मेदार होऊंगा/होंगे।

दिनांकः

हस्ताक्षर शपथकर्ता